

वित्त विभाग  
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(231)(वित्त-1)(1)आय व्ययक/2016/  
कोषाधिकारी,  
टोंक, राजस्थान।

दिनांक 05.07.2017

(स्वीकृति संख्या 133 /2017-18)

विषय : स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में नगर परिषद/पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में राशि हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की स्वीकृति क्रमांक : प.6(ट)(301)लेखा/डीएलबी/SBM/2015-16/5849-78 दिनांक: 30.06.2017 (प्रति संलग्न) में अंकितानुसार संबंधित नगर परिषद/नगर पालिकाओं के निजी निक्षेप खातों में कुल राशि रुपये 164.59 लाख (अक्षरे रुपये एक करोड़ चौसठ लाख उन्नसठ हजार मात्र) निम्न बजट मद में व्यय अंकित करते हुए हस्तान्तरित कर दी जावे :-

विकलेय मद	राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग (राशि लाखों में)
मांग संख्या - 29			
2217 - शहरी विकास			
80 - सामान्य			
192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता			
(39) - स्वच्छ भारत मिशन			
[01]- स्वच्छ भारत मिशन			
12 -सहाय्यतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	28.27	84.80	113.07
मांग संख्या - 51			
[02]- स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिये)			
12 -सहाय्यतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	7.33	22.01	29.34
मांग संख्या - 30			
[03]- स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जन जातियों के लिये)			
12 -सहाय्यतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	5.54	16.64	22.18
<b>कुल</b>	<b>41.14</b>	<b>123.45</b>	<b>164.59</b>

भवदीय

*(Handwritten Signature)*

(जसवन्त सिंह)

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रधान महालेखाकार, लेखा एवम् हक/लेखा परीक्षा-I राजस्थान, जयपुर।
02. शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
03. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
05. जिला कलेक्टर, टोंक, राजस्थान।
06. संबंधित नगर परिषद/पालिका.....।
07. संयुक्त सचिव वित्त (व्यय-3 अनुभाग) विभाग, राज0 जयपुर।
08. अनुभाग अधिकारी, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
09. वित्त (मार्गोपाय) अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

*(Handwritten Signature)*

संयुक्त शासन सचिव वित्त (बजट)

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

Website- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

E-Mail- caodlb@gmail.com

Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(301)लेखा/DLB/SBM/2015-16/5849

दिनांक : 30-06-17

**:स्वीकृति आदेश:**

विषय : वर्ष 2016-17 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यपगत (Lapse) हुई राशि की स्वीकृति।

विभागीय स्वीकृति संख्या 10893-11144 दिनांक 27.10.2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं को स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामुदायिक शौचालयों (CT) एवं ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid waste management) हेतु पंचम आवंटन किया गया था। जिला टोंक की नगरीय निकायो की राशि रूपये 164.59 लाख (अक्षरे रूपये एक करोड़ चौसठ लाख उनसठ हजार मात्र) उनके निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित नहीं होने के कारण व्यपगत (Lapse) हो गयी थी। व्यपगत हुयी राशि निम्न बजट मदों में व्यय अंकित करते हुये संलग्न सूची के अनुसार निकायो के निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(राशि लाखों में)

विकलेय मद	BE वर्ष 2017-18			इस स्वीकृति पर व्यय राशि		
	राज्य निधि	केन्द्रीय निधि	योग (2+3)	राज्य निधि	केन्द्रीय निधि	योग (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
मांग संख्या - 29						
2217 - शहरी विकास						
80 - सामान्य						
192 - नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता						
(39) - स्वच्छ भारत मिशन						
[01] - स्वच्छ भारत मिशन						
12 - सहायतार्थ अनुदान -	1177.17	5029.40	6206.57	28.27	84.80	113.07
मांग संख्या - 51						
[02] - स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिये)						
12 - सहायतार्थ अनुदान	305.55	1305.50	1611.05	7.33	22.01	29.34
मांग संख्या - 30						
[03] - स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जन जातियों के लिये)						
12 - सहायतार्थ अनुदान	231.02	986.98	1218.00	5.54	16.64	22.18
कुल योग राशि	1713.74	7321.88	9035.62	41.14	123.45	164.59

आवंटित राशि का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार एवं विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे। किसी भी स्थिति में अन्य गतिविधियों में उपयोग नहीं किया जावे। इस हेतु पृथक से लेखांकन सुनिश्चित किया जावे। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 एवं सुसंगत वित्तीय नियमों/ राज्य सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

इस स्वीकृति के लिये वित्त (व्यय-3) विभाग की सहमति आई.डी. क्रमांक 171700649 दिनांक 16.06.2017 द्वारा विभागीय पत्रावली पर प्राप्त कर ली गयी है।


  
(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)( 301)लेखा//DLB/ SBM/2015-16/ 5850-78 दिनांक : 30-06-17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, (आयोजना) राज0 जयपुर।
05. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ भिजवाकर निवेदन है कि सम्बन्धित नगर परिषद, नगर पालिकाओं एवं निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर को स्वीकृत अनुदान राशि उनके निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित करने की कार्यवाही करें।
07. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय) राज0 जयपुर।
08. वरिष्ठ उप महालेखाकार, स्थानीय निकाय लेखा परीक्षा एवम् लेखा राजस्थान जयपुर।
09. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3)/(आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
10. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. जिला कलेक्टर, टोंक।
12. लेखाधिकारी, प्रधान महालेखाकार कार्यालय, लेखा एवं हक (डी.डी.प्रथम अनुभाग) जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
14. निदेशक, कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर।
15. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय को भेजकर लेख है कि आवंटित राशि का उपयोग सभी निकायो द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार कराया जाना सुनिश्चित करावे एवं मॉनेटरिंग की जावे।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित निकायों के निजी निक्षेप खाते में राशि हस्तान्तरित कराने की व्यवस्था कराने का श्रम करावे तथा निर्धारित फार्म में लेख महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवम् हक) के डी0 डी0 प्रथम अनुभाग में भिजवाने की व्यवस्था करावे।
17. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिकाओं को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि इस स्वीकृति के अन्तर्गत आवंटित अनुदान राशि का निकाय के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
18. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
19. परियोजना निदेशक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), प्रभारी आई.एफ.एम.एस., निदेशालय।
20. प्रभारी अधिकारी विभागीय वेब साईट, निदेशालय को अपलोड करने हेतु।
21. बजट शाखा/अंक मिलान शाखा निदेशालय
22. सुरक्षित पत्रावली।

  
(हुलास राम पवार)  
मुख्य लेखाधिकारी

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर

स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों (CT) एवं वीस कचरा प्रबन्धन (SWM) टैंक जिले की नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं को वर्ष 2016-17 में व्ययगत हुयी राशि का आवंटन

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम पिकाय	श्रेणी	Activity Head - CT					Activity Head - SWM					Total CT & SWM (7+10)	राज्य निधि			केन्द्रीय निधि			योग	महा योग (15+19)
			No. of CT 2016	@ 0.26 lac GOI Share (75%)	GOR Share (25%)	Total (5+6)	GOI Share (75%)	GOR Share (25%)	TOTAL (8+9)	मौज संख्या 29	संख्या 51	मौज संख्या 30		योग (12+13+14)	मौज संख्या 29	संख्या 51	मौज संख्या 30	योग (16+17+18)			
1	कोष कार्यालय, टोक (1127)		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	टोक	1	25	6.50	2.17	8.67	60.98	20.33	81.31	89.98	15.45	4.00	3.04	22.49	46.34	12.03	9.12	67.49	89.98		
2	देवली	2		0.00	0.00	0.00	8.14	2.71	10.85	10.85	1.87	0.48	0.36	2.71	5.60	1.45	1.09	8.14	10.85		
3	निवाइ	3	16	4.16	1.39	5.55	13.93	4.64	18.57	24.12	4.14	1.08	0.81	6.03	12.43	3.23	2.43	18.09	24.12		
4	मालपुरा	4		0.00	0.00	0.00	13.29	4.43	17.72	17.72	3.04	0.79	0.60	4.43	9.13	2.37	1.79	13.29	17.72		
5	टोडारायसिंह	4		0.00	0.00	0.00	8.69	2.90	11.59	11.59	1.99	0.52	0.39	2.90	5.97	1.55	1.17	8.69	11.59		
6	उनियारा	4	12	3.12	1.04	4.16	4.63	1.54	6.17	10.33	1.78	0.46	0.34	2.58	5.33	1.38	1.04	7.75	10.33		
	योग		53	13.78	4.60	18.38	109.66	36.55	146.21	164.59	28.27	7.33	5.54	41.14	84.80	22.01	16.64	123.45	164.59		

(अक्षरों रूपसे एक करोड़ बीसठ लाख उनसठ हजार मात्र)

(पवन अरोड़ा)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव